राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प0 35/2019/243 दिनांक : 8/03/2019

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषय : वॉक–इन–इन्टरव्यू के तहत चिकित्सकों के अनुमोदन करवाने के संबंध में।

---::---::---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(1)/चिस्वा/2/2014 दिनांक 04.10.2014 के अनुसरण में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम–1963 के नियम 26 में उपलब्ध प्रावधानों के अर्न्तगत वॉक–एण्ड–इन्टरव्यू द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर आवश्यक तदर्थ आधार (Urgent Temporary Basis) पर चयन कर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भिजवाये गये है के सन्दर्भ में निर्देशानुसार निम्न सूचना तत्काल उपलब्ध करावें :–

1. राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.1(1)/चिस्वा/2/2014 दिनांक 04.10.2014 द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना की गई है अथवा नहीं।
2. जिन चिकित्सकों को तदर्थ आधार (Urgent Temporary Basis) पर लिया जा रहा है, क्या उन संस्थानों पर चिकित्सा अधिकारी के स्पष्ट पद रिक्त है।
3. जिन चिकित्सकों को तदर्थ आधार (Urgent Temporary Basis) पर लिया जा रहा है, क्या उन संस्थानों पर चिकित्सा अधिकारी के पद से अन्य किसी चिकित्सक का वेतन आहरण तो नहीं हो रहा है।
4. राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.1(1)/चिस्वा/2/2014 दिनांक 04.10.2014 के अनुसरण में लिये जा रहे तदर्थ आधार (Urgent Temporary Basis) पर चिकित्सकों को नियुक्त किया जा रहा है, उतने ही पदों को नियमित चिकित्सकों के पदों को Kept-in-abeyance रखा जा रहा है अथवा नहीं।

अतः उपरोक्त सूचना तैयार कर हॉर्ड कोपी एवं सॉफ्ट कोपी में ई–मेल आईडी atc.gaz@gmail.com पर शीघ्र उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

8/3/19

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प0 35/2019/243 दिनांक : 8/03/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त, संबंधित/जिला कलक्टर, संबंधित।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, संबंधित।
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, संबंधित।
7. कोषाधिकारी, संबंधित।
8. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–संबंधित।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अवलोड करावें।
10. निजि/आदेश पत्रावली।

8/3/19

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।